

## भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके सम्बंधित विषयो की सूची

### भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके विषय:

भारत अथवा 'इण्डिया' राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को ग्रहण किया गया तथा जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ था।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं। संविधान मसौदा समिती के अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद 2 वर्ष, 11 महिने और 18 दिन में विश्व का सबसे लिखित संविधान का निर्माण किया था।

### भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके सम्बंधित विषयो की सूची:

अनुच्छेद	सम्बंधित विषय
अनुच्छेद-1	संघ का नाम औ राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद-2	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद-3	राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
अनुच्छेद-4	पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
अनुच्छेद-5	संविधान के प्रारं पर नागरिकता
अनुच्छेद-6	भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
अनुच्छेद-7	पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
अनुच्छेद-8	भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
अनुच्छेद-9	विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक ना होना
अनुच्छेद-10	नागरिकता क अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद-11	संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
अनुच्छेद-12	राज्य की परिभाषा
अनुच्छेद-13	मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
अनुच्छेद-14	विधि के समक्ष समानता
अनुच्छेद-15	धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध
अनुच्छेद-16	लोक नियोजन में अवसर की समानता

अनुच्छेद-17	अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद-18	उपाधीयों का अंत
अनुच्छेद-19	वाक् की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-20	अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद-21	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
अनुच्छेद-21क	6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद-22	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण
अनुच्छेद-23	मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
अनुच्छेद-24	कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत
अनुच्छेद-25	धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-26	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-29	अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद-30	शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
अनुच्छेद-32	अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
अनुच्छेद-36	परिभाषा
अनुच्छेद-40	ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद-48	कृषि और पशुपालन संगठन
अनुच्छेद-48क	पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
अनुच्छेद-49	राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद-50	कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
अनुच्छेद-51	अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
अनुच्छेद-51क	मूल कर्तव्य
अनुच्छेद-52	भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद-53	संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद-54	राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद-55	राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती
अनुच्छेद-56	राष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद-57	पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
अनुच्छेद-58	राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
अनुच्छेद-59	राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें

अनुच्छेद-60	राष्ट्रपति की शपथ
अनुच्छेद-61	राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद-62	राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां
अनुच्छेद-63	भारत का उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद-64	उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
अनुच्छेद-65	राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
अनुच्छेद-66	उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद-67	उपराष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद-68	उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद-69	उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
अनुच्छेद-70	अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
अनुच्छेद-71.	राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
अनुच्छेद-72	क्षमादान की शक्ति
अनुच्छेद-73	संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
अनुच्छेद-74	राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद-75	मंत्रियों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद-76	भारत का महान्यायवादी
अनुच्छेद-77	भारत सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद-78	राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
अनुच्छेद-79	संसद का गठन
अनुच्छेद-80	राज्य सभा की संरचना
अनुच्छेद-81	लोकसभा की संरचना
अनुच्छेद-83	संसद के सदनों की अवधि
अनुच्छेद-84	संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
अनुच्छेद-85	संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद-87	राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
अनुच्छेद-88	सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार
अनुच्छेद-89	राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद-90	उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना
अनुच्छेद-91	सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति

अनुच्छेद-92	सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना
अनुच्छेद-93	लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद-94	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
अनुच्छेद-95	अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां
अनुच्छेद-96	अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना
अनुच्छेद-97	सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद-98	संसद का सचिवालय
अनुच्छेद-99	सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद-100	संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
अनुच्छेद-108	कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
अनुच्छेद-109	धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद-110	धन विधायक की परिभाषा
अनुच्छेद-111	विधेयकों पर अनुमति
अनुच्छेद-112	वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद-118	प्रक्रिया के नियम
अनुच्छेद-120	संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद-123	संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति
अनुच्छेद-124	उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
अनुच्छेद-125	न्यायाधीशों का वेतन
अनुच्छेद-126	कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद-127	तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
अनुच्छेद-128	सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
अनुच्छेद-129	उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना
अनुच्छेद-130	उच्चतम न्यायालय का स्थान
अनुच्छेद-131	उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
अनुच्छेद-137	निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन
अनुच्छेद-143	उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद-144	सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता

अनुच्छेद-148	भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
अनुच्छेद-149	नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया
अनुच्छेद-150	संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप
अनुच्छेद-153	राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद-154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद-155	राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद-156	राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद-157	राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ
अनुच्छेद-158	राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद-159	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 161	राज्यपाल की न्यायिक शक्ति अर्थात् क्षमादान आदि शक्तियों की व्याख्या
अनुच्छेद-163	राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद
अनुच्छेद-164	मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
अनुच्छेद-165	राज्य का महाधिवक्ता
अनुच्छेद-166	राज्य सरकार का संचालन
अनुच्छेद-167	राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
अनुच्छेद-168	राज्य के विधान मंडल का गठन
अनुच्छेद-170	विधानसभाओं की संरचना
अनुच्छेद-171	विधान परिषद की संरचना
अनुच्छेद-172	राज्यों के विधानमंडल कि अवधी
अनुच्छेद-176	राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद-177	सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
अनुच्छेद-178	विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद-179	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
अनुच्छेद-180	अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति
अनुच्छेद-181	अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना
अनुच्छेद-182	विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद-183	सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना
अनुच्छेद-184	सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति

अनुच्छेद-185	संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना
अनुच्छेद-186	अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद-187	राज्य के विधान मंडल का सविचाल.
अनुच्छेद-188	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद-189	सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
अनुच्छेद-199	धन विदेश की परिभाषा
अनुच्छेद-200	विधायकों पर अनुमति
अनुच्छेद-202	वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद-213	विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति
अनुच्छेद-214	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद-215	उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद-216	उच्च न्यायालय का गठन
अनुच्छेद-217	उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें
अनुच्छेद-221	न्यायाधीशों का वेतन
अनुच्छेद-222	एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण
अनुच्छेद-223	कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
अनुच्छेद-224	अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद-226	कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद-231	दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
अनुच्छेद-233	जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद-241	संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय
अनुच्छेद-243	पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां
अनुच्छेद-244	अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद-248	अवशिष्ट विधाई शक्तियां
अनुच्छेद-252	दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-254	संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
अनुच्छेद-256	राज्यों की और संघ की बाध्यता
अनुच्छेद-257	कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण

अनुच्छेद-262	अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनो के जल संबधी विवादों का न्याय निर्णय
अनुच्छेद-263	अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
अनुच्छेद-266	संचित निधी
अनुच्छेद-267	आकस्मिकता निधि
अनुच्छेद-269	संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर
अनुच्छेद-270	संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
अनुच्छेद-280	वित्त आयोग
अनुच्छेद-281	वित्त आयोग की सिफारिशे
अनुच्छेद-292	भारत सरकार द्वारा उधार लेना
अनुच्छेद-293	राज्य द्वारा उधार लेना
अनुच्छेद-300क	संपत्ति का अधिकार
अनुच्छेद-301	व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-309	राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
अनुच्छेद-310	संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
अनुच्छेद-313	संक्रमण कालीन उपबंध
अनुच्छेद-315	संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद-316	सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
अनुच्छेद-317	लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना
अनुच्छेद-320	लोकसेवा आयोग के कृत्य
अनुच्छेद-323क	प्रशासनिक अधिकरण
अनुच्छेद-323ख	अन्य विषयों के लिए अधिकरण
अनुच्छेद-324	निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
अनुच्छेद-329	निर्वाचन संबधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन
अनुच्छेद-330	लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण
अनुच्छेद-331	लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद-332	राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद-333	राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद-343	संघ की परिभाषा
अनुच्छेद-344	राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
अनुच्छेद-350क	प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
अनुच्छेद-351	हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
अनुच्छेद-352	आपात की उदघोषणा का प्रभाव
अनुच्छेद-356	राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
अनुच्छेद-360	वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
अनुच्छेद-368	सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया
अनुच्छेद-377	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
अनुच्छेद-378	लोक सेवा आयोग के बारे में